

28/1/2020

पशावली पेश हुई वकील वादी व वादी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। दोपहर उक्त न्यायालय समय में पुनः वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं। पुनः सायंकाल में न्यायालय समय में वकील वादीगण व वादीगण स्वयं को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद वकील वादीगण व वादीगण के अनुपस्थित रहने पर पशावली इसी स्तर पर अदम पेशी/अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पशावली फैसल थुमार होकर बाद तकनीक दाखिल दफ्तर है।



liy
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

